

Check List of Documents for (Online Mutation Management System)

Sr.	Type of Document
1	Photo of Applicant*: (jpg)
2	Applicant ID Proof*: (jpg)
3	Affidavit*: (pdf)
4	Sale Deed*: (pdf)
5	Succession Certificate*: (Pdf)
6	Death Certificate**: (gif, png, jpg, jpeg, pdf)
7	Registered Will: (gif, png, jpg, jpeg, pdf)
8	Gift Deed***: (gif, png, jpg, jpeg, pdf)
9	Other Document: (gif, png, jpg, jpeg, pdf)
10	Allotment / Possession Letter: (gif, png, jpg, jpeg, pdf)
11	Power of Attorney: (gif, png, jpg, jpeg, pdf)

Mandatory Documents with '*',

Mandatory only in case of Death '**',

Mandatory only in case of Gift '***',



संशोधन प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
प्रथम तल आफिस काम्पलेक्स सेक्टर-9
वृन्दावन योजना लखनऊ।

आवृत्ति संख्या 15 15700

पत्रांक

/सं0प्र0 वृन्दावन/

दिनांक

विक्रय उपरान्त/मृत्योपरान्त नामान्तरण हेतु आवश्यक नोटिस

परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ के अन्तर्गत कु0 सुमन पाण्डेय पुत्री स्व0 आर0सी0 पाण्डेय के पक्ष में (45/75 प्रकार) मध्यम आय वर्ग भवन सं0 7A/190 प्रदेशन पत्र सं0 5999 दिनांक 05.04.2005 द्वारा आवंटित किया गया है। कु0 सुमन पाण्डेय पुत्री स्व0 आर0सी0 पाण्डेय के द्वारा उक्त भवन सं0 7A/190 का विक्रय विलेख दिनांक 29.06.2005 को अपने पक्ष में कराने के उपरान्त श्री देवेन्द्र देव पाण्डेय पुत्र स्व0 आर0सी0 पाण्डेय के पक्ष में दिनांक 25.02.2010 को विक्रय कर दिया गया। श्री देवेन्द्र देव पाण्डेय का स्वर्गवास दिनांक 13.11.2016 को हो गया। श्रीमती सरिता पाण्डेय पत्नी स्व0 श्री देवेन्द्र देव पाण्डेय एवं अनुश्री पाण्डेय पुत्री स्व0 देवेन्द्र देव पाण्डेय द्वारा उक्त भवन सं0 7A/190 को अपने पक्ष में अन्तरण हेतु अनुरोध किया गया। इस कार्यालय के पत्रांक 4372 दिनांक 29.07.17 द्वारा उक्त भवन को श्रीमती सरिता पाण्डेय पत्नी स्व0 श्री देवेन्द्र देव पाण्डेय एवं अनुश्री पुत्री श्री देवेन्द्र देव पाण्डेय के पक्ष में अन्तरण कर दिया गया। श्रीमती सरिता पाण्डेय पत्नी स्व0 श्री देवेन्द्र देव पाण्डेय स्वयं व बहैसियत संरक्षिका एवं सगी माता कुमारी विदुषी पाण्डेय नाबालिग आयु लगभग 7 वर्ष पुत्री स्व0 श्री देवेन्द्र देव पाण्डेय एवं कु0 विदुषी पाण्डेय कुमारी अनुश्री पाण्डेय पुत्री स्व0 श्री देवेन्द्र देव पाण्डेय द्वारा उक्त भवन सं0 7A/190 श्री रंजीत सिंह पुत्र श्री रामकृष्ण सिंह एवं श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री रंजीत सिंह के पक्ष में दिनांक 23.08.17 को विक्रय कर दिया गया। श्रीमती सरिता पत्नी स्व0 श्री देवेन्द्र देव पाण्डेय एवं अनुश्री पाण्डेय पुत्री स्व0 श्री देवेन्द्र देव विक्रेता एवं श्री रंजीत सिंह पुत्र श्री रामकृष्ण सिंह एवं श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री रंजीत सिंह क्रेता के संयुक्त प्रार्थना पत्र द्वारा परिषद के अभिलेखों में श्री रंजीत सिंह पुत्र श्री राम कृष्ण सिंह एवं श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री रंजीत सिंह का नाम दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है। इस विक्रयोपरान्त नामान्तरण के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो इस नोटिस के निर्गत होने की तिथि के 21 दिन के अन्दर कार्यालय को लिखित रूप से साक्ष्य सहित सूचित करे अन्यथा उक्त सम्पत्ति का नामान्तरण श्री रंजीत सिंह पुत्र श्री रामकृष्ण सिंह एवं श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री रंजीत सिंह के पक्ष में कर दिया जायेगा।

नामान्तरण के उपरान्त यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं आपका होगा।



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
प्रथम तल आफिस काम्पलेक्स सेक्टर-9
वृन्दावन योजना लखनऊ।



पञ्जीक

/सं0प्र0 वृन्दावन/
मृत्योपरान्त सर्वसाधारण की सूचना

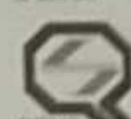
दिनांक

परिषद की वृन्दावन योजना में भूखण्ड सं0 7A/465 श्री रामचन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री राजनाथ सिंह को प्रदेशन पत्र संख्या 5434 दिनांक 30.08.2003 द्वारा आवंटित किया गया था। जिसका विक्रय विलेख 20.11.2003 को निष्पादित है। श्रीमती वन्दना सिंह पत्नी श्री रेवती रमण सिंह ने अपने पत्र दिनांक 10.09.2020 द्वारा सूचित किया है कि उनके ससुर श्री रामचन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 21.12.2016 को हो गई है। श्रीरामचन्द्र सिंह द्वारा अपने पक्ष में पक्ष में आवंटित भूखण्ड सं0 7A/465 की वसीयत अपनी बहू श्रीमती वन्दना सिंह पत्नी श्री रेवती रमण सिंह के पक्ष में दिनांक 16.04.2008 को वसीयत लिखी गयी है जो उप निबन्धक तृतीय लखनऊ के यहाँ बही सं0 3 जिल्द सं0 152 पृष्ठ संख्या 179 से 188 पर क्रमांक 160 पर पजीकृत किया गया है।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि संदर्भित सम्पत्ति श्रीमती वन्दना सिंह पत्नी श्री रेवती रमण सिंह के पक्ष में नामान्तरित किये जाने में किसी को कोई आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर साक्ष्य सहित अपना आपत्ति पत्र कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद प्रथम तल आफिस काम्पलेक्स सेक्टर-9 वृन्दावन योजना लखनऊ में प्रस्तुत करे। अन्यथा उक्त अवधि के पश्चात् दावा कार्ता (Claimant) के पक्ष में नामान्तरण कर दिया जाएगा। जिसके लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
प्रथम तल आफिस काम्पलेक्स सेक्टर-9
वृन्दावन योजना लखनऊ।



पत्रांक

/सं020 वृन्दावन/

दिनांक

मृत्योपरान्त नामान्तरण हेतु नोटिस प्रकाशनार्थ

परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ के अन्तर्गत श्रीमती सुशीला देवी अवस्थी पत्नी श्री प्रकाश नारायण अवस्थी के पक्ष में इस कार्यालय के प्रदेशन पत्र 10707 दिनांक 03.11.2009 द्वारा भवन सं0 198/136 आवंटित किया गया था। श्री अरुण अवस्थी पुत्र श्री पी0एन0 अवस्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2020 द्वारा कार्यालय को सूचित किया है कि उनकी माता श्रीमती सुशीला देवी अवस्थी पत्नी श्री प्रकाश नारायण अवस्थी की मृत्यु दिनांक 06.02.2018 को हो गई है, तत्पश्चात् श्री अरुण अवस्थी पुत्र श्री पी0एन0 अवस्थी ने यह अनुरोध किया है कि उक्त भूखण्ड का नामान्तरण उनके नाम कर दिया जाए। उक्त नामान्तरण करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो इस नामान्तरण हेतु आवश्यक नोटिस दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर साक्ष्य सहित कार्यालय में आपत्ति दाखिल करे। निर्धारित अवधि के अन्दर आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में सम्पत्ति का नामान्तरण मृतक के पुत्र श्री अरुण अवस्थी पुत्र श्री पी0एन0 अवस्थी के पक्ष में कर दिया जाएगा। फिर किसी का दावा मान्य नहीं होगा।

अन्तरण के उपरान्त यदि कोई वाद-विवाद उत्पन्न होता है तो इसके लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा, अन्तरण हेतु श्री अरुण अवस्थी पुत्र श्री पी0एन0 अवस्थी ही उत्तरदायी होंगे।